

&gt;

Title: Papers laid on the Table of the House by Ministers/Members.

**माननीय अध्यक्ष :** अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे । श्री जी. किशन रेड्डी ।

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI G. KISHAN REDDY):** Sir, on behalf of Shri Amit Shah, I beg to lay on the Table a copy of each of the following papers (Hindi and English versions):-

1. Detailed Demands for Grants of the Ministry of Home Affairs (Volume I) for the year 2019-2020.

[Placed in Library, See No. LT 137/17/19]

2. Detailed Demands for Grants of the Ministry of Home Affairs (Union Territories) (Volume II) for the year 2019-2020.

[Placed in Library, See No. LT 138/17/19]

**कृषि और किसान कल्याण मंत्री; ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री** (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2019-2020 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[Placed in Library, See No. LT 139/17/19]

**THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SHIPPING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF**

**CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI MANSUKH L. MANDAVIYA):** Sir, I beg to lay on the Table:-

1. A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Section 394 of the Companies Act, 2013:-
  - (i) Review by the Government of the working of the Karnataka Antibiotics and Pharmaceuticals Limited, Bangalore, for the year 2017-18.
  - (ii) Annual Report of the Karnataka Antibiotics and Pharmaceuticals Limited, Bangalore, for the year 2017-18, along with Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
2. Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 140/17/19]

3. A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Ahmedabad, for the year 2017-2018, together with Audit Report thereon.
4. Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 141/17/19]

5. A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research,

Guwahati, for the year 2016-2017, together with Audit Report thereon.

6. Statement (Hindi and English versions showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 142/17/19]

7. A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Karnataka Antibiotics and Pharmaceuticals Limited and the Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, for the year 2019-2020.

[Placed in Library, See No. LT 143/17/19]

8. A copy of Notification No. G.S.R.1705(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 8<sup>th</sup> May, 2019 order indicating the supplies of urea to be made by domestic manufacturers of urea to States and Union Territories during Kharif, 2019 under sub-section (6) of Section 3 of the Essential Commodity Act, 1955.

[Placed in Library, See No. LT 144/17/19]

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल):** अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी) सभा पटल पर रखता हूँ :

- (एक) एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 145/17/19]

(दो) भारत पम्पस एंड कम्प्रेसर्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 146/17/19]

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल):**  
अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) (एक) स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैब्लिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, कटक के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैब्लिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, कटक के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 147/17/19]

(3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम तथा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 148/17/19]

(दो) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 149/17/19]

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव):** अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

- (1) (एक) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 150/17/19]

(3) सेंट्रल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 151/17/19]

(4) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 42 की उप-धारा (2) के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो (कठिनाई को दूर करना) आदेश, 2019, जो 10

अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1557(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 152/17/19]

(5) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 40 के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो (संशोधन) नियम, 2019, जो 29 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 382(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 153/17/19]

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI G. KISHAN REDDY):** Sir, I beg to lay on the Table:-

1. (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the  
National Foundation for Communal Harmony, New Delhi, for the year 2017-18, alongwith Audited Accounts.  
(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the  
Government of the working of the National Foundation for Communal Harmony, New Delhi, for the year 2017-18.
2. Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 154/17/19]

3. A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 23 of the Enemy Property Act, 1968:-

- (i) The Guidelines for disposal of Enemy Property (Amendment) Order, 2019 published in Notification No. G.S.R.201(E) in Gazette of India dated 8<sup>th</sup> March, 2019.
- (ii) The Procedure and mechanism for Sale of Enemy Share Order, 2019 published in Notification No. G.S.R.885(E) in Gazette of India dated 18<sup>th</sup> February, 2019.

[Placed in Library, See No. LT 155/17/19]

\*m08

**कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परषोत्तम रूपाला):**  
अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) गुजरात राज्य बीज निगम लिमिटेड के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) गुजरात राज्य बीज निगम लिमिटेड का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 156/17/19]

(3) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 4(घ) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पादप संघरोध (भारत में आयात का विनियमन) (पहला संशोधन) आदेश, 2019, जो 21 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 941(अ) में प्रकाशित हुआ था । (दो) पादप संघरोध (भारत में आयात का विनियमन) (दूसरा संशोधन) आदेश, 2019, जो 13 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1728(अ) में प्रकाशित हुआ था । (तीन) पादप संघरोध (भारत में आयात का विनियमन) (तीसरा संशोधन) आदेश, 2019, जो 24 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1817(अ) में प्रकाशित हुआ था ।

(चार) पादप संघरोध (भारत में आयात का विनियमन) (चौथा संशोधन) आदेश, 2019, जो 12 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1954(अ) में प्रकाशित हुआ था ।

[Placed in Library, See No. LT 157/17/19]

(4) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 42 की उप-धारा (2) के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो (बोरिक अम्ल के लिए मानक) आदेश, 2019, जो 17 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1766(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 158/17/19]

(5) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 36 की उप-धारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 1767(अ) जो 17 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कीटनाशी अधिनियम, 1968 की अनुसूची में 25 कीटनाशकों को शामिल किए जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।



[Placed in Library, See No. LT 159/17/19]

**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव कुमार बालियान):** अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धरा 66 की उप-धारा(3) के अंतर्गत भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् (पशु चिकित्सा महाविद्यालयों और पशु चिकित्सा अर्हताओं को मान्यता दिए जाने और उनकी मान्यता समाप्त किए जाने की प्रक्रिया) (संशोधन)

नियम, 2019 जो 6 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 197(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[Placed in Library, See No. LT 160/17/19]

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय):** अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 की धारा 155 की उप-धारा (3) के अंतर्गत सशस्त्र सीमा बल कम्बैटाइज्ड कम्युनिकेशन सर्विस (समूह 'ख' और 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2019, जो 11 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 74 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 161/17/19]

(2) असम राइफल्स अधिनियम, 2006 की धारा 167 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) असम राइफल्स नायब सूबेदार (इलैक्ट्रीशियन मोटर यान) समूह 'ख' कम्बैटाइज्ड पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 जो 7 जुलाई, 2018 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 201 में प्रकाशित हुए थे ।
- (दो) असम राइफल्स (समूह 'ग' कम्बैटाइज्ड पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 जो 2 फरवरी, 2018 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.36 में प्रकाशित हुए थे ।
- (तीन) असम राइफल्स नायब सूबेदार (सामान्य ड्यूटी) समूह 'ख' कम्बैटाइज्ड पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 जो 11 अगस्त, 2018 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 247 में प्रकाशित हुए थे ।
- (चार) असम राइफल्स सिविल स्टाफ समूह 'ख' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 जो 11 अगस्त, 2018 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 248 में प्रकाशित हुए थे ।
- (पांच) असम राइफल्स (पैरा मेडिकल संवर्ग) समूह 'ग' गैर-मंत्रालयी, कम्बैटाइज्ड पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 जो 25 अगस्त, 2018 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 273 में प्रकाशित हुए थे ।
- (छह) असम राइफल्स सूबेदार मेजर स्टोर कीपर टेक्निकल (इंजीनियर्स), समूह 'ख' पद (कम्बैटाइज्ड) भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 जो 7 जुलाई, 2018 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 203 में प्रकाशित हुए थे ।
- (सात) असम राइफल्स नायब सूबेदार (धार्मिक अध्यापक) कम्बैटाइज्ड पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 जो 15 सितम्बर, 2018 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 295 में प्रकाशित हुए थे ।

- (आठ) असम राइफल्स नायब सूबेदार (अध्यापक) समूह 'ख' कम्बैटाइज्ड पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 जो 7 जुलाई, 2018 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 202 में प्रकाशित हुए थे ।
- (नौ) असम राइफल्स वारंट आफिसर (रेडियो मैकेनिक) समूह 'ग' कम्बैटाइज्ड पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 जो 18 अगस्त, 2018 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 264 में प्रकाशित हुए थे ।
- (दस) असम राइफल्स सूबेदार मेजर (भवन और सड़क) (इंजीनियर्स) समूह 'ख' पद (कम्बैटाइज्ड) भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 जो 7 जुलाई, 2018 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 204 में प्रकाशित हुए थे ।
- (ग्यारह) असम राइफल्स पैरा-मेडिकल स्टाफ (फार्मासिस्ट) समूह 'ग' कम्बैटाइज्ड पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 जो 2 फरवरी, 2018 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 37 में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, See No. LT 162/17/19]

(3) जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 18 की उप-धारा (3) के अंतर्गत जनगणना (संशोधन) नियम, 2018 जो 20 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 576(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 163/17/19]

(5) आपदा प्रबंध अधिनियम, 2005 की धारा 77 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंध संस्थान कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की अन्य शर्तें) संशोधन नियम, 2018 जो 11 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 25(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 164/17/19]

(6) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) गृह मंत्रालय, सीमा सुरक्षा बल, (कम्बैटाइज्ड स्टेनोग्राफर्स काडर), समूह 'क' और समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2019, जो 18 मई, 2019 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 118 में प्रकाशित हुए थे ।
- (दो) सीमा सुरक्षा बल, कम्बैटाइज्ड सहायक उप-निरीक्षक (स्टेनोग्राफर) तथा हेड कांस्टेबल (मंत्रालयी) भर्ती (संशोधन) नियम, 2019, जो 30 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 75 में प्रकाशित हुए थे ।
- (तीन) गृह मंत्रालय, सीमा सुरक्षा बल, पैरा वेटेरिनरी स्टाफ, समूह 'ख' और समूह 'ग' (गैर-राजपत्रित) पद (कम्बैटाइज्ड) भर्ती नियम, 2019, जो 26 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 147(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, See No. LT 165/17/19]

# MESSAGES FROM RAJYA SABHA

**12.05 hrs**